बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 190639 पटना, दिनांक 02.7.14

ग्रा0वि0-7/(5)बी0पी0एल0(सु0का0)-07/2008

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना / विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाओं में पंचायत स्तरीय पारिवारिक सूची में शामिल परिवारों से भिन्न परिवारों के संबंध में आच्छादन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में ।**

महाशय,

राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2002 में बी.पी.एल. सर्वेक्षण कराया गया था । वर्ष 2002 के बाद बी.पी.एल. सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2007 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की सूची प्रकाशित की गयी थी । सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक पंचायत के लिए पारिवारिक सूची बनायी गयी थी । पारिवारिक सूची में पंचायत क्षेत्रांतर्गत रहने वाले सभी परिवारों को समाविष्ट होना था । पारिवारिक सूची में से 1 से 13 स्कोर पाने वाले परिवारों को बी.पी.एल. सूची के रूप में अलग सूची बनायी गयी थी ।

2. विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारी मिलती है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनका नाम पारिवारिक सूची में नहीं हैं जबकि वे परिवार वस्तुत: पंचायत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और उनका नाम पारिवारिक सूची में अनिवार्य रूप से होना चाहिए था ।

3. इसमें ऐसे अनेकों परिवार हैं जो वस्तुत: गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के रूप में पात्रता रखते हैं अर्थात् यदि 13 बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया जाय तो उनके अंक 13 से कम होने की संभावना है ।

4. अनेकों ऐसे गरीब परिवार हैं जो वस्तुत: गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की पात्रता रखते हैं, परन्तु उन्हें उक्त योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वे पारिवारिक सूची / बी.पी.एल. सूची में समाविष्ट नहीं हैं । ऐसी स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(i) ऐसे परिवार, जो वस्तुत: गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले हैं, उनका निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र (13 मापदंडों का 52 अंकों वाला प्रपत्र) में सर्वेक्षण किया जाय

और सर्वेक्षण के आधार पर यदि उनका स्कोर 13 से कम आता है तो उन्हें संबंधित पंचायत के बी.पी.एल. सूची के अंतिम क्रमांक के बाद पूरक बी.पी.एल. सूची बनाकर नाम समाविष्ट कर दिया जाय और उस आधार पर वैसे परिवारों को उक्त योजनाओं का लाभ दिया जाय ।

(ii) इस व्यवस्था का उपयोग पूर्व से उपलब्ध बी.पी.एल. सूची में अंकों में सुधार के लिए नहीं किया जाएगा । यह व्यवस्था मात्र वैसे परिवारों के लिए की जा रही है जिनका नाम मूल बी0पी0एल0 सूची / पारिवारिक सूची में कहीं भी अंकित नहीं है । जिनका नाम पूर्व से प्रचलित पारिवारिक सूची / बी.पी.एल. सूची में शामिल है, उनके अंकों में कोई संशोधन इस व्यवस्था के तहत स्वीकार्य नहीं होगा ।

(iii) इस क्रम में शामिल किए जाने वाले नये परिवारों का स्कोर 13 से कितना भी कम हो, तो भी उनका स्थान वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची में समाविष्ट परिवारों के बाद ही शामिल होगा ताकि मूल सूची में अवस्थित परिवारों की प्राथमिकता क्रम में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो । यह प्रावधान मात्र इंदिरा आवास के चयन के लिए प्रासंगिक है । अन्य योजनाओं में प्राथमिकता क्रम का प्रावधान नहीं है ।

(iv) पूरक बी.पी.एल. सूची में नाम समाविष्ट करने के लिए प्रखंड स्तर पर RTPS काउंटर के बगल में एक काउंटर खोला जाय, जिसमें पूरक बी.पी.एल. सूची में नाम समाविष्ट करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय । उन आवेदन पत्रों की एक पंजी संधारित की जाय । उन आवेदन पत्रों की जॉच प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक/ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से कराएंगे और 15 दिन के अंदर अपना अभिमत दर्ज करके अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे । अनुमंडल पदाधिकारी पूरक बी.पी.एल. सूची में नाम शामिल करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे । जिला पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को संपन्न कराएंगे ।

5. यह ध्यान रहना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य प्राय: पूर्ण हो रहा है । भारत सरकार से SECC के ऑकड़ों का उपयोग करके विभिन्न कार्यक्रमों के लाभान्वितों के चयन की सूची बनाने संबंधी दिशानिर्देश प्राप्त होने पर यह व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जाएगी । यह व्यवस्था मात्र अंतरिम अवधि के लिए है ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू) 24/1/14

सचिव